pan>

Title: Introduction of the Public Liability for Non-nuclear Industrial Mishap Bill, 2016.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपोल) : महोदय, मैं पूरताव करती हूं कि देश में गैर-नाभिकीय औद्योगिक दुर्घटनाओं के लिए कड़े दंड और पर्याप्त प्रतिकर तथा तत्संसक्त और उसके आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for stringent punishment and adequate compensation for non-nuclear industrial mishaps in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्रीमती रंजीत रंजन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

_